EPFO क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन में AMNESTY, VISHWAS, EEC 2026 तथा PM-VBRY योजनाओं पर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन

चंडीगढ़/मोहाली, 02.09.2026: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने आज मोहाली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (MIA), मोहाली में श्री अशोक गुप्ता, अध्यक्ष; श्री राकेश विग, महासचिव; तथा श्री जसबीर सिंह, चेयरमैन सहित एसोसिएशन के प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों के सहयोग से एक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य एमनेस्टी योजना, 2026, विश्वास योजना, 2026, कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC), 2026 और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के बारे में जानकारी का प्रसार करना और व्यापक जागरूकता उत्पन्न करना था।

इस संगोष्ठी की अध्यक्षता डॉ. के.पी. सिंह, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I एवं प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने की। इस अवसर पर श्री नीरज श्रीवास्तव, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, आंचलिक कार्यालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश (PB&HP) भी उपस्थित रहे।

संगोष्ठी के दौरान, संगठन के अधिकारियों ने संबंधित सांविधिक प्रावधानों, प्रत्येक योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभों तथा इससे जुड़े प्रक्रियात्मक पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी, ताकि हितधारक इन योजनाओं का लाभ स्पष्टता और सरलता के साथ उठा सकें।

इस कार्यक्रम में अन्यों के साथ, छूट प्राप्त स्थापनाओं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, पी.आर.टी.सी., डी.ए.वी. आदि के प्रतिनिधियों; मोहाली, डेराबस्सी, लालडू और पटियाला की विभिन्न स्थापनाओं जैसे टेलीपरफॉर्मेंस मोहाली, टी.डी.एस. मैनेजमेंट मोहाली, नाहर इंडस्ट्रीज आदि के प्रतिनिधियों; तथा नियोक्ता एसोसिएशंस जैसे डेराबस्सी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (जिसका प्रतिनिधित्व श्री गुरजंट सिंह ने किया) और लालडू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य संबंधित लोगों व हितधारकों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने इन योजनाओं को शुरू करने की सरकार की पहल की सराहना की।

चर्चा की गई योजनाओं की मुख्य विशेषताएं

1. एमनेस्टी, 2026

यह योजना उन भविष्य निधि न्यासों (Provident Fund Trusts) की छूट-स्थिति (exemption status) को नियमित करने का अवसर प्रदान करती है, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तो हैं, परंतु कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 / सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत उन्हें औपचारिक छूट प्राप्त नहीं हुई है।

2. विश्वास, 2026

यह योजना स्थापनाओं को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14बी और/अथवा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 128 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति (damages) से संबंधित विवादों के सौहार्दपूर्ण, एकमुश्त निपटारे का अवसर प्रदान करती है। इस एकमुश्त निपटारे के माध्यम से स्थापनाओं को क्षतिपूर्ति/शास्ति में कमी का लाभ प्राप्त होगा।

3. कर्मचारी नामांकन अभियान (EEC), 2026
इस अभियान के अंतर्गत नियोक्ता उन कर्मचारियों को नामांकित कर सकेंगे जो वर्तमान में EPF के दायरे में नहीं आते, जिससे व्यापक कार्यबल तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार होगा।

EPF स्कीम के तहत पहले से शामिल या शामिल होने के योग्य सभी स्थापनाओं के नियोक्ता, नियोक्ता पोर्टल के ज़रिए ऐसे छूटे हुए कर्मचारियों की जानकारी दे सकते हैं जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच उनकी स्थापना में शामिल हुए थे।

4. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)
इस योजना के अंतर्गत नए कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं दोनों को लाभ प्राप्त होगा – कर्मचारियों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ मिलेगा, जबकि नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने सभी हितधारकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर इन योजनाओं का लाभ उठाने में निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन का आश्वासन दिया।

****